

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/प्र.अ.आ/हाईटेक मंडी/2023/804

भोपाल, दिनांक 7/01/2024

प्रति,


- 1- संयुक्त संचालक,
आंचलिक कार्यालय (समस्त)
- 2- कार्यपालन यंत्री,
तकनीकी संभाग (समस्त)
- 3- सचिव,
कृषि उपज मंडी 'अ' वर्ग तथा संबंधित

विषय:- प्रदेश की 'अ' वर्ग की 39 मंडियां तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में सम्मिलित मंडियों को आदर्श (हाईटेक) बनाये जाने के संबंध में ।

प्रदेश की 'अ' वर्ग की 39 मंडियां तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में सम्मिलित मंडियों को आदर्श (हाईटेक) मंडी के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रारंभिक रूप से 31 मानक बिन्दुओं पर मंडी प्रांगण में व्यवस्थायें और सुविधायें विकसित की जाना है जिसके लिये बिन्दु/तत्व परिशिष्ट-1 पर दर्शित है।

2- आदर्श (हाईटेक) मंडी में परिशिष्ट-1 में दर्शित बिन्दु/तत्व के विषय में कार्यवाही किये जाने हेतु संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय, कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग एवं संबंधित सचिव द्वारा कार्यवाही की जाना है जिसमें प्रारंभिक प्राक्कलन, डीपीआर, निविदा प्रारूप, सक्षम स्वीकृति, संसाधनों की व्यवस्था तथा अन्य कार्यवाही हेतु उक्त विषय की निर्धारित समय-सीमा में अनुपालना की जा सके।

3- अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय-सीमा में किये जाने हेतु अविलंब कार्य-योजना तैयार कर सात दिवस में भेजें।


17/01/24
(श्रीमन् शुक्ला)

प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/एम.आई.एस/हाईटेक मंडी/2023/805

भोपाल, दिनांक 17/01/2024

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, मा० मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा अध्यक्ष मंडी बोर्ड की ओर सूचनार्थ।
- 2- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर सूचनार्थ ।
- 3- अपर संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
- 4- संयुक्त संचालक (नियमन) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
- 5- अधीक्षण यंत्री म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
- 6- चीफ प्रोग्रामर म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
- 7- सहायक संचालक (आईटी/एमआईएस) मुख्यालय भोपाल ।
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

हाईटेक (आदर्श मंडी) विकसित किये जाने के संबंध में

प्रदेश की अ वर्ग की 39 तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में शामिल मंडियों को प्रथम चरण में आदर्श (हाईटेक) मंडी के रूप में विकसित किया जाना है जिसके तत्वों की क्रियान्वयन समय-सीमा निम्नानुसार है :-

क्र.	विन्दु/तत्व	अवधि (किस अवधि से किस अवधि तक)	कार्ययोजना	अद्यतन स्थिति
1	ई-मंडी	15.01.2024 से		
2	इलेक्ट्रॉनिक बूम बेरियर (चिन्हित)	15.01.2024 से		
3	कलर, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग एवं क्वलिनिंग संयंत्र	15.01.2024 से		
4	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड	15.01.2024 से		
5	सी.सी.टी.वीही./आंचलिक कार्यालयों में केंद्रीय रूम सहित	15.01.2024 से		
6	एवनि प्रसारण यंत्र	15.01.2024 से		
7	इलेक्ट्रॉनिक व्हेब्रिज	15.01.2024 से		
8	हार्डवेयर मल्टीपरपस शेड(चिन्हित मंडियों में)	15.01.2024 से		
9	शेड (केवल चिन्हित मंडियों में)	15.01.2024 से		
10	भंडारगृह (केवल चिन्हित मंडियों में)	15.01.2024 से		
11	कोल्ड स्टोरेज/पैकहाउस/कोल्ड चेम्बर (केवल चिन्हित मंडियों में)	15.01.2024 से		
12	रायपनिंग चेम्बर (केवल चिन्हित मंडियों में)	15.01.2024 से		
13	किसान बाजार	15.01.2024 से		
14	असेसिंग तैब	15.01.2024 से		

15	रियायती केन्टीन	15.01.2024 से		
16	शुद्ध RO जल	15.01.2024 से		
17	हायजीन युक्त टायलेट-सुविधाघर	15.01.2024 से		
18	सुविधायुक्त विश्रामगृह	15.01.2024 से		
19	स्वच्छता	15.01.2024 से		
20	हरियाली/ग्रीनबेल्ट/बगीचे	15.01.2024 से		
21	सौलर व्यवस्था (ऊर्जा संरक्षण)	15.01.2024 से		
22	कॉन्फ्रेंस हॉल सह-प्रशिक्षण केंद्र	15.01.2024 से		
23	प्राथमिक चिकित्सा कक्ष	15.01.2024 से		
24	फायरफाईटर/उपकरण	15.01.2024 से		
25	बैंक, ए.टी.एम.	15.01.2024 से		
26	एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क	15.01.2024 से		
27	निपुण मानव संसाधन	15.01.2024 से		
28	संकेतिक/दिशा-निर्देशक बोर्ड व सुरक्षा व्यवस्था-चेक पॉइंट	15.01.2024 से		
29	सिंगल विंडो मार्गदर्शक/हेल्पडेस्क	15.01.2024 से		
30	वेस्ट डिस्पोजल यूनिट/जैविक खाद निर्माण	15.01.2024 से		
31	ईकार्ड(चिन्हित मंजूरियाँ में)			
	हार्डमार्स्ट-प्रकाश व्यवस्था	15.01.2024 से		